39 II/निगरानी/2018/0131

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल
ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

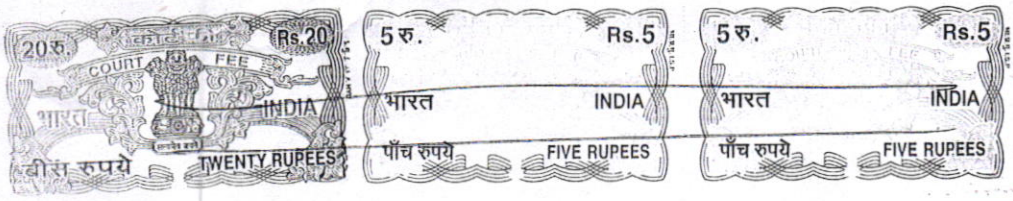

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs 30/-

1– चित्रलेखा देवी पत्नी स्व0 प्रेमलाल

2– सुरेशचन्द्र

3– राकेश कुमार

4– नरेश कुमार

5– मुकेश कुमार

6– पूनम देवी

सभी के पिता स्व0 प्रेमलाल मिश्रा निवासी ग्राम भेड़रहाई, तहसील मझौली, जिला सीधी (म0प्र0)

अधिवक्ता श्री राकेश मिश्रा द्वारा पेश/29.12.17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा

———————निगरानीकर्तागण

बनाम

रावेन्द्र प्रसाद तनय चन्द्रमणि प्रसाद निवासी ग्राम भेड़रहाई, तहसील मझौली, जिला सीधी (म0प्र0)

———————गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार उप–तहसील मड़वास, तहसील मझौली जिला सीधी (म0प्र0) प्रकरण कमांक 24/अ–74/2016–17 आदेश दिनांक 05.08.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

राकेश कुमार गौतम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/सीधी/भू.रा./2018/4887 0131

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये । प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी नायव तहसीलदर, उप तहसील मड़वास तहसील मझौली जिला सीधी के प्रकरण कमांक 24 अ 74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 5–8–2017 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। २/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदर, उप तहसील मड़वास तहसील मझौली जिला सीधी के प्रकरण कमांक 24 अ 74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 5–8–2017 के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार का यह आदेश अंतिम स्वरूप का है जिसके विरूद्व प्रथम अपील उपखंड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) को प्रस्तुत होगी। म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं	

जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। आवेदकगण इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सीधे सुनवाई योग्य न होने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य